

प्रेस नोट:-

दिनांक-11.09.2023

थाना कीडगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्ता गिरफ्तार व कब्जे से 28 ग्राम नाजायज स्मैक व 5020/- रूपये बरामद।

थाना कीडगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्ता 1. उषा देवी पत्नी समसुल नि० झोपड़पट्टी धरि कार बस्ती थाना कीडगंज प्रयागराज व 2. ललिता पत्नी कल्लू नि० झोपड़पट्टी धरि कार बस्ती थाना कीडगंज प्रयागराज को झोपड़पट्टी जल निगम के बगल थाना क्षेत्र कीडगंज से आज दिनांक 11.09.2023 को गिरफ्तार किया गया व कब्जे से 28 ग्राम नाजायज स्मैक व 5020/- रूपये बरामद किये गये। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-189/2023 धारा 8/21 NDPS Act. पंजीकृत किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का विवरण:-

1. उषा देवी पत्नी समसुल नि० झोपड़पट्टी धरि कार बस्ती थाना कीडगंज प्रयागराज उम्र करीब 48 वर्ष।
2. ललिता पत्नी कल्लू नि० झोपड़पट्टी धरि कार बस्ती थाना कीडगंज प्रयागराज उम्र करीब 25 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण:-

मु०अ०सं०-189/2023 धारा 8/21 NDPS Act. थाना कीडगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० बाबूराम, उ०नि० राजकृष्ण सिंह थाना कीडगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. हे०का० वकील यादव, का० दुर्गेश यादव थाना कीडगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. म०का० सरिता यादव, म०का० साधना सिंह, म०का० दिव्या त्रिपाठी थाना कीडगंज प्रयागराज।